न्यायालय अवर न्यायाधीश

सोनपुर सारण।

हकियत वाद सं0–188 सन् 2021

दिन दयाल सिंह वो अन्य....................वादीगण

बनाम

राजेन्द्र सिंह वो अन्य ....प्रतिवादीगण।

दिनांक– 21.06.2022

उभय पक्ष की ओर से हाजिरी है। आज अभिलेख वादी की ओर से आदेश 22 नियम 03 सी0पी0सी0 के अंतर्गत दाखिल आवेदन दिनांक 11.05.2022 पर आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

वादी की ओर से प्रस्तुत वाद सरिखन सिंह, नंदलाल सिंह द्वारा किए गए दानपत्र दिनांक 25.03.1960 को शुन्य एवं अप्राभावी घोषित करने के साथ वादपत्र के अनुसूची–1 में वर्णित भूमि के बंटवारा हेतु लाया गया है। वादी सं0 01 दिन दयाल सिंह की मृत्यु दिनांक 05.02.2022 को हो गई तथा दिन दयाल सिंह अपने पीछे अपने विधवा पत्नी, दो पुत्र एवं 5 पुत्रियों को छोड़कर मर गए। दिन दयाल सिंह के विधवा पत्नी एवं पुत्रगण इस वाद में पूर्व से पक्षकार हैं, किन्तु 5 पुत्रियों को इस वाद में पक्षकार नहीं बनाया गया है जिसे वादी के द्वारा दाखिल प्रतिस्थापना आवेदन समय सीमा के अंतर्गत दाखिल किया गया है। अतः इसे न्यायहित में स्वीकृत करते हुए उनके 5 पुत्रियों को पक्षकार बनाने की कृपा की जाए।

प्रतिवादी सं0 01, 02, 09, 10 की ओर से उपर्युक्त आवेदन का प्रतिउत्तर दिनांक 31.05.2022 को दाखिल किया गया है जिसमें उनका कथन है कि जिस बयानात के साथ वादी ने सवाल दाखिल किया है वह हरगिज स्वीकार होने योग्य नहीं है, बल्कि खारिज होने योग्य है। वादी का सवाल नियमानुकूल नहीं है। वादी का सवाल डिलेट अवस्था में दाखिल किया गया है। वादी

ने वादी सं0 01 की मृत्यु के तिथि दिनांक 05.02.22 दर्शाया है और सवाल दिनांक 11.05.22 को दाखिल किया गया है। वादी के द्वारा एवेटमेंट सेटेसाईट का सवाल दाखिल नहीं किया गया है। अतः निवेदन है कि वादी की ओर से दाखिल सवाल खर्चा के साथ खारिज किया जाए।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को विगत तिथि को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद वादी की ओर से वादी सं0 01 दिनदयाल सिंह के मृत्यु दिनांक 05.02.22 को हो गई है जिसके पश्चात् उनके 5 पुत्रियों को पक्षकार बनाने हेतु दाखिल किया है एवं उनके विधवा पत्नी एवं दो पुत्र पहले से ही पक्षकार बनाये गए हैं। वादी की ओर से प्रतिस्थापना आवेदन देने में कुछ दिन विलंब हुआ है। अतः न्यायहित में वादी की ओर से दाखिल प्रतिस्थापना आवेदन को विलंब माफ करते हुए स्वीकृत किया जाता है।

वाद दिनांक......................को अग्रिम कार्यवाही हेतु।

सब जज

सोनपुर सारण।